# जन संपर्क विभाग

## ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

फोटोग्राफी / विडियोग्राफी / मुनादी कार्य हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

कमांक / 75 / जसंवि0 / 2017 दुर्ग, दिनांक 20/2/2017

नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुबंध के तहत् फरवरी 2018 तक हेतु लोक कल्याणकारी, जनसुविधा कार्य, विकास और निर्माण कार्य, कार्यकमों, विभिन्न शिविरों एवं अन्य शासन योजनाओं के कार्यो की आवश्यकता अनुसार व समयानुसार फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य और व्यापक प्रचार कार्य मुनादी के माध्यम से विभाग एवं उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार समय–समय पर कराया जाना है इच्छुक फर्म / संस्था / दुकानदार से दिनांक 10 / 03 / 2017 को अपरान्ह 4 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है । कार्य हेतु निविदा से संबंधित जानकारी व प्रपत्र निगम की वेबसाइड **www.municipalcorporetiondurg.com** में डाउनलोड किया गया है इच्छुक संस्था, फर्म, व्यक्ति वेबसाइड से निविदा का अवलोकन कर निविदा प्रपत्र **Tender for Lump Sum Contract** डाउनलोड कर सकते हैं । निविदा जन संपर्क विभाग में 09 / 03 / 2017 को 4 बजे तक डाक रजिस्ट्री से ही स्वीकार किया जावेगा तथा उसी दिनांक को शाम 4 बजे निविदा खोली जाएगी ।

| कं0 | कार्य का विवरण | अनु0लागत |
|---|---|---|
| 01 | विडियोंग्राफी एवं फाटोग्राफी कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुबंध के तहत् फरवरी 2018 तक हेतु निगम के 01 से 60 वार्डो में लोक कल्याणकारी, जनसुविधा के कार्य, विकास और निर्माण कार्य, कार्यकमों, शिविरों, सर्वे व अन्य कार्य आदेशानुसार | 1,00,000 / – रुपये (एक लाख रुपया) |
| 02 | मुनादी कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुबंध के तहत् फरवरी 2018 तक हेतु 01 से 60 वार्डो में लोक कल्याणकारी, जनसुविधा के कार्य, विकास और निर्माण कार्य, कार्यकमों, शिविरों, सर्वे व अन्य कार्य तथा कार्यकम जनसूचनार्थ आदेशानुसार | 1,00,000 / – रुपये (एक लाख रुपया) |

उपरोक्त कार्यो की निविदा व सामान्य शर्ते, धरोवर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है डाउन लोड किए गए प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क व डी0डी0 के रुप में संलग्न करना होगा।

कार्यपालन अभियंता
वास्तेआयुक्त,
नगर पालिक निगम दुर्ग

कमांक / / जसंवि0 / 2017 दुर्ग, दिनांक 20/2/17

प्रतिलिपि–
1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग को सादर सूचनार्थ एवं सम्प्रेषित ।
3. प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, को प्रचलित दैनिक समाचार पत्र के किसी एक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
4. सूचना फलक, मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग में जनसामान्य हेतु अवलोकनार्थ ।
5. श्री टी0के0 देव सहा0 नोडल अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित कर निविदा आमंत्रण पत्र को वेबसाइड में प्रकाशित करने हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
वास्तेआयुक्त,
नगर पालिक निगम दुर्ग

## निविदा की नियम व शर्ते : मुनादी कार्य

1. लाउडस्पीकर, माईक, रिक्शा, आटो रिक्शा का प्रतिदिन दर समस्त करों सहित रहेगी ।
2. मुनादी कार्य हेतु दिये निर्देश के एक घंटा के अन्दर निर्धारित वार्डो जगहों पर मुनादी कर प्रतिवेदन देवें ।
3. मुनादी कार्य पूर्ण कर जन संपर्क विभाग नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचित करेगें ।
4. मुनादी कार्य की स्वीकृत दरें दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक प्रभावशील रहेगा ।
5. मुनादी कार्य सायकल रिक्शा एवं आटो रिक्शा दोनों का प्रति दिन का अलग–अलग दर अवश्य दें ।
6. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग का होगा।
7. मुनादी कार्य एक निश्चित वार्डो में अथवा पूरे 60 वार्डो में कर सत्यापित प्रतिवेदन विभाग को देना सुनिश्चित करेंगें।
8. उपरोक्त आमंत्रित निविदा में कार्य के लिए दर आमंत्रित किया गया है। अतएव स्वीकृत दर पर अन्य फ़र्म से आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार कार्य कराये जाने नगर पालिक निगम दुर्ग स्वतंत्र रहेगा।
9. निविदा के अन्य नियम व शर्ते कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है ।
10. अमानत राशि 1000/– का एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र राशि 300 रु0 का डीडीआर आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग के नाम से अलग लिफाफे में जमा करना होगा ।

## निविदा की नियम व शर्ते : फोटोग्रफी/विडियोग्राफी कार्य

01. फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की दर समस्त करों सहित रहेगी ।
02. फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कार्य हेतु निर्देश दिये जाते ही तत्काल कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
03. फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कार्य तत्काल पूर्ण कर उक्त तिथि को ही जन संपर्क विभाग नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रदाय करना अनिवार्य है ।
04. फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की स्वीकृत दरें दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक प्रभावशील रहेगा ।
05. फोटोग्राफी/विडियोग्राफी में प्रति घंटे प्रति कार्यक्रम का दर उल्लेख किया जावे । डिजिटल फिल्म फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की दरें अलग से दी जाए ।
06. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग को होगा
07. 16 बाई 20 साईज प्रति फोटोग्राफस तैयार करने अलग से दर का उल्लेख करें, 4 बाई 6 की प्रथम व द्वितीय प्रतियों का दर भी दें, साथ ही प्रति सीडी, डीवीडी का भी दर प्रस्तुत करना होगा ।
08. उपरोक्त आमंत्रित निविदा में कार्य के लिए दर आमंत्रित किया गया है । अतएव स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार कार्य कराये जाने नगर पालिक निगम दुर्ग स्वतंत्र रहेगा ।
09. अमानत राशि 1000/– का एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र राशि 300 रु0 का डीडीआर आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग के नाम से अलग लिफाफे में जमा करना होगा
10. निविदा के अन्य नियम व शर्ते कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है ।
11. अमानत राशि 1000/– रु0 का एफडीआर के साथ प्रपत्र राशि का डीडीआर और निविदा फार्म अलग–अलग बंद लिफाफे में जमा करना होगा।

## मुनादी कार्य एवं फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. वित्तीय वर्ष 2016–017 में 31 मार्च 2017 तक हेतु मुनादी / फोटोग्राफी / विडियोग्राफी कार्य हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर स्वीकृत हुआ है अतः निर्धारित दरों पर ही उपरोक्त कार्य आपको करना होगा ।
2. दर स्वीकृति बाद कार्य हेतु बार–बार अलग से आदेश नहीं दिये जाएगें जन संपर्क विभाग के सूचना व निर्देश पर आपको कार्य संपादन करना होगा ।
3. मुनादी / फोटोग्राफी / विडियोंग्राफी कार्य का दर समस्त करों रहित रहेगी ।
4. विभागीय अधिकारी के लिखित व मौखिक आदेश पर कार्य किया जाना होगा वह भी निर्धारित स्थल पर पहुँचाकर देना होगा तथा आप अपना मोबाईल नम्बर बंद नहीं रखेगें ।
5. दिनांक व समय कार्य के प्रकार अनुसार कार्यो की फोटोग्राफ्स की एवं विडियोग्राफी की एक–एक सीडी जन संपर्क विभाग में देना होगा । एवं मुनादी की पावती सत्यापित प्रति जमा करना होगा।
6. कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं होने पर आपके देयकों का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा आपके द्वारा निगम कार्यो की मुनादी / फोटोग्राफी / विडियोग्राफी कार्य बंद करने का अधिकार निगम आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. कार्य की आवश्यकता, अधिकता होने पर दूसरे साउंड सर्विस, फोटो स्टूडिया संचालक, संस्था या व्यक्ति से स्वीकृत दर पर कार्य कराने नगर निगम स्वतंत्र रहेगा ।
8. बहुत से कार्य पूर्व नियोजित नहीं रहते, तत्काल तय किये जाते हैं इस स्थिति में सूचना के आधार पर आपको कार्य पूर्ण करना होगा ।
9. सूचना / आदेश व कार्यो की सूचना का संधारण दर्ज करेगें व देयक के साथ उसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं ।
10. विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति में निगम के उच्चाधिकारियों की सूचना पर भी आपको उपरोक्त कार्य पूर्ण कर पुष्टि के बाद आदेश प्राप्त करना होगा ।

**नगर पालिक निगम दुर्ग**